

विचार बिन्दु

जब पैसा बोलता है तब सत्य मौन रहता है। –कहावत

हम देश के नागरिक यह स्वीकार नहीं करेंगे कि विदेशी फर्जी मतदाता भारत के भाग्य विधाता बने

बिहार में निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव अक्टूबर-नवम्बर में हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक उचित जाँच के बाद लोगों के नाम जो मतदान करने के अधिकारी पाये गये उनके नाम 30 सितम्बर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिये जावेंगे। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट (Update) करने के तथा अवैध तथाकथित मतदाताओं को हटाने के लिये शुरू की गई है।

अधिकारियों द्वारा गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान यह पाया गया है नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार के सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं और इनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे कई प्रकार के पहचान पत्र हैं ये कागजात गलत तरीके से प्राप्त किये गये हैं। अत: इनके नाम 30 सितम्बर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिये जावेंगे। अधिकारीगण बूथ लेवल पर घर-2 गये हैं और उन्होंने जांच की है। आयोग को सूचना के आधार पर यह भी जानकारी उपलब्ध है कि 80.11: मतदाता (करीब 6.32 करोड़) ने अपने ईएफ (एन्युमरेशन फार्म) जमा करा दिये हैं। 18 लाख मृत वोटर्स पाये गये। 7 लाख वोटर्स का नाम दो जगह दर्ज है। ताजा समाचार के अनुसार 97: काम पूरा हो चुका है।

चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पूर्व यह स्पष्ट किया है कि बिहार की तरह सभी राज्यों की विधान सभाओं की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उनका पूरा प्रयत्न होगा कि देश की मतदाता सूची में एक भी विदेशी नागरिक नहीं रहना चाहिये।

बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा चल रही है जो एक वैधानिक प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय खण्डपीठ के समक्ष इस प्रक्रिया की वैधानिकता को कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी है। सुनवाई के समय इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की प्रार्थना पिटीशनरों की ओर से की गई थी; किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने यह कहकर प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि चुनाव आयोग वैधानिक संस्था है और उसके कार्य को रोकना जाना कोर्ट उचित नहीं समझ रही है।

माननीय कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की बहस चल रही है जिसमें कई संवैधानिक व वैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं। स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण किया जाना चुनाव आयोग का दायित्व है। पिटीशनर्स की ओर से उक्त प्रक्रिया के विरुद्ध कानूनी आपत्तियां उठाई गई हैं। एक आपत्ति यह उठाई गई है कि जब मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम है जो पहले भी वोट दे चुका है तो उसे मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। यह भी आपत्ति की जा रही है कि अधिकारीगण जाँच घर-2 जाकर नहीं कर रहे हैं ऑन लाईन फार्म के लिये अवैध वसूली हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे महाराष्ट्र की तर्ज पर चोरी या चुनाव चोरी की कोशिश बताया है। राजव के नेता तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव ने इसे गरीब दलित व प्रवासी मजदूरों के वोटिंग अधिकारों को छीनने का कोशिश माना है। कई लोगों का कहना है कि अभिप्राय मतदाता सूची को शुद्धता का नहीं है अपितु सत्ताखंड एनडीए को लाभ पहुंचाने का है।

मूल बहस जो चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है वह दो बिन्दुओं पर केन्द्रित है। प्रथम चुनाव आयोग के अधिकार पर जो उसे संविधान ने अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से दिये हैं। दूसरा बिन्दु है मताधिकार का आधार जो केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। इसका पूर्ण विवेचन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार निर्वाचन के अधीक्षण (uperintendence), निर्देशन (Direction) व नियंत्रण (Control) चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का ओर उन सभी के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग (Election Commission) कहा गया है।

इसका अभिप्राय है चुनाव आयोग को चुनाव कराने, निर्वाचक नामावली (Electoral Rolls) बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है अर्थात् निर्वाचन (Election) के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में माना है कि चुनाव आयोग को चुनावों के सम्बन्ध में न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्राप्त हैं।

हमें यहाँ तो स्वीकार करना ही होगा कि चुनाव आयोग संविधान के तहत चुनावों की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में एक संवैधानिक संस्था है और नागरिक होने के कारण उनका यह मूल कर्तव्य है कि वे इस संस्था का सम्मान करें आदर करें। संविधान के अनुच्छेद 51(क) में स्पष्ट घोषणा है कि “भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं का आदर करे”।

चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर रहा है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक हैं या नहीं। अर्थात् संविधन के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर रहा है कि वे लोग जो दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं क्या वे भारत के नागरिक हैं? बूथ स्तर के मतदाता को पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के हजारों लोगों का पता चला है। उनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट राशन कार्ड भी मिले हैं।

किन्तु भारत की राजनीति में संस्थाओं के प्रति आदर कहीं खो गया है।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत निर्णय करने का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर रहा है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर रहा है कि वे लोग जो दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं क्या वे भारत के नागरिक हैं? बूथ स्तर के मतदाता को पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के हजारों लोगों का पता चला है। उनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट राशन कार्ड भी मिले हैं। आपत्ति केवल यह है कि वे संविधान के भाग-2 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भारत के नागरिक नहीं हैं। संविधान के अनुसार मतदान को अधिकार केवल भारत के नागरिक को है।

इस विषय पर चर्चा के लिये, आईये, हम यह जाने कि संविधान के भाग-2 के अनुवसर भारत का नागरिक कौन हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारत की संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन किया है। कानून है नागरिकता अधिनियम, 1955 और दूसरा के नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीसीए)।

भारत की नागरिकता निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है:-

(1) जन्म से नागरिकता - 26 जनवरी 1950 में 01.07.1987 के मध्य भारत में पैदा हुये व्यक्ति। 1 जुलाई 1987 से 12 दिसम्बर 2024 के बीच जन्मे व्यक्ति के माता-पिता में से कम से कम एक एक भारतीय हो। 06.12.2024 के बाद जन्मे होने पर एक माता-पिता भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिये।

(2) वंश के आधार पर - यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माता-पिता भारत के नागरिक हैं तो वह पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है।

(3) पंजीकरण द्वारा - भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत के विवाहित विदेशी नागरिक या जो कुछ वर्षों से भारत में रह रहे हों वे आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

(4) By Naturalization (विदेशी) जो भारत में 12 वर्षों से रह रहे हैं (11 वर्ष आवेदन से ठीक पहले 1 वर्ष)

(5) राज्य के भारत में विलय के कारण।

इससे स्पष्ट होगा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा वोटर लिस्ट में नाम होने मात्र से वह व्यक्ति भारत देश का नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019 व उसके नियम बिहार के उपरोक्त तथाकथित मतदाताओं पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत आये हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त करने के लिये प्राकृतिककरण की अवधि 11 से घटाकर 5 वर्ष करता है।

रिट याचिकायें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ में जेरकार हैं और जिनमें माननीय न्यायालय गम्भीरता से दोनों पक्षों की बहस सुन रहा है, कानून की स्थिति के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को है और वह भारत का नागरिक, संविधान तथा नागरिकता अधिनियम के दिये गये मानदण्डों के अनुसार नागरिक है। चुनाव आयोग आपत्ति कर रहा है कि बिहार के वे तथाकथित मतदाता तथा जो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के लोग हैं, उन्हें वह मतदाता अर्थात् भारत देश में मतदान करने का अधिकारी नहीं मानता। हाँ, यदि वे कुछ मांगे गये दस्तावेजात पेश करें और संतोष करा दे तो वह आपत्ति उठा लेगा या वे नागरिकता के मामले को नियमों के अनुसार गृह मंत्रालय से तय करा लेवें और सर्टिफिकेट प्राप्त करलें कि वे भारत के नागरिक हैं उन्हें देश का नागरिक मान लेना और मतदान का अधिकारी मानकर मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो जावेगा।

दूसरा प्रश्न और भी है वह है Estoppel keâe efkeâvleg Estoppel का नियम कानून के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता।

बहस के दौरान यह सभी पक्षों ने माना है कि मतदान का अधिकार केवल देश का नागरिक ही को है। जो व्यक्ति (मतदाता) अपना नाम वोटर लिस्ट में बतलाने अथवा आधार कार्ड व राशन कार्ड उनके नाम होने के कारण अपने को मतदान का अधिकारी मानता है, उसकी वैधता बाबत जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। उसे गृह विभाग के मंत्रालय से प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा।

इस विवाद का एक पहलू और भी है। हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का अधिकार केवल मात्र देश के नागरिक को है अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को है। प्रस्तुत केस तथाकथित मतदाताओं में से किसी ने दायर नहीं किया है। अत: यह प्रश्न भी माननीय कोर्ट के समक्ष रखना चाहिये कि याचिकायें सुनवाई के योग्य ही नहीं हैं। सिक्किम के भारत में विलय को लेकर सिक्किम के पूर्व शासक विलय की वैधता को सिक्किम हाईकोर्ट में चुनौती दी, उस समय जस्टिस श्रीमाल एन एल सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। केस उनकी पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्रीमाल ने आपत्ति की थी कि भारत का नागरिक ही रिट याचिका पेश कर सकता है, अन्य नहीं। सुनवाई उसी समय की जायेगी जब पिटीशनर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह भारत का नागरिक है। शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया।

देश इसे स्वीकार नहीं करेगा कि विदेशी फर्जी मतदाता भारत का भाग्य विधाता बने। सबको सम्पत्ति दे भगवान!

–**अतिथि सम्पादक,**
पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

हरियालो राजस्थान: हरित समृद्धि की ओर ले जाने का मुख्यमंत्री का संकल्प



रचना सिद्धा

आज विश्व अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। इन समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या है प्राणी और वनस्पति जगत के बीच का असंतुलन। आबादी की बेतहाशा बढ़ोतरी और प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी बढ़ती निर्भरता ने इस संतुलन को बिगाड़ा है जिससे हमारे सामने आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल के कटते रहने से मानव सभ्यता को ही खतरा पैदा हो गया है। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। धरती के कुछ भाग या तो सालों तक सूखे रहते हैं या फिर वहां भयानक बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों में भूस्खलन और ग्लेशियर का पिघलना भी प्रकृति के इसी अतिदोहन का परिणाम है। वन और पानी किसी भी समाज के लिए सबसे आवश्यक हैं। अगर ये विलुप्त हो जाएं त्राहिमाम मच जाए और सभ्यता का विनाश हो जाए।

जीवन की दृष्टि से पर्यावरण मानव के लिए सर्वोच्च जरूरत है। जल, जंगल और जमीन तीनों उसके प्रमुख आधार हैं। लेकिन आधुनिकता और विलासिता की दौड़ और सबसे आगे निकल जाने की लालच में बढ़ते प्रदूषण ने जीवन के इन तीनों आधारों

को हमसे छीन लिया है जो कि हमारे आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज की एक बहुत बड़ी विफलता है। यही वजह है कि आज देश की आबादी का बड़ा हिस्सा स्वच्छ और सुरक्षित पानी, शौचालय तथा शुद्ध हवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। इस दिशा में समाज और सरकार को स्वच्छता और वृक्षारोपण को एक जनान्दोलन बनाने की तरफ सोचना होगा जिसके लिए समाज की सहभागिता होना पहली और आवश्यक शर्त है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को बहुत गंभीरता से लेते हुए वृक्षारोपण को बहुत महत्वपूर्ण बताया। अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करते हुए नई दिल्ली के बुद्ध पार्क में पीपल का एक पौधा लगाया। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी मां के साथ मिलकर अथवा उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। यह पेड़ उनकी तरफ से उनके लिए एक अनमोल उपहार होगा।

प्रधानमंत्री के इस अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने को संकल्पित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर दूदू जिले के गहोता में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया और पांच वर्षों में राज्य में 50 करोड़ तथा वर्ष

2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया।

हरियालो राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को हरा भरा बनाने और वन क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाए रखना है। इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण तथा वन्यजीवों के लिए बेहतर पारिस्थिति की तंत्र तैयार करने में स्थानीय समुदायों की जागरूकता बढ़ाते हुए अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पौधारोपण को जन आंदोलन बनाना भी हरियालो राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सरकार ने पांच वर्षों में राज्य में पचास करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर प्रदेश में अभियान के पहले चरण में प्रदेश में सात करोड़ पौधे लगाए गए जिसका वर्ल्ड रिकार्ड भी बना। अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब हरियालो राजस्थान के दूसरे चरण में दस करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए हरियालो राजस्थान नामक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। लगाए गए हर पौधे की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिएइस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है।

इस अभियान ने नवाचार, आधुनिक तकनीक और जन सहभागिता के माध्यम से जनआंदोलन का रूप ले लिया है। इसी क्रम में नदियों के किनारों, औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के आसपास, विद्यालयों, अस्पतालों तथा नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इस अभियान में सामाजिक संगठनों,



शैक्षणिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इनके माध्यम से अभियान को जनसामान्य से जोड़ा गया और यह अभियान महज एक सरकारी कार्यक्रम न होकर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हर जिले में आमजन की भागीदारी से मातृवन बनाए जा रहे हैं जहां नागरिक अपने परिवारों की स्मृति में वृक्ष लगाकर प्यांवरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

आज हम जिस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं उसके पीछे वनों को कटाई एक प्रमुख कारण है। इसके कारण पिछले कुछ समय में मानव जाति को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने जिस अभियान की शुरुआत कर दी है वह न केवल वनों और हमारे पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करेगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी तैयार करेगा। लेकिन यहां बहुत ध्यान रखने की बात यह भी है कि जो पौधे या पेड़

लगाए जा रहे हैं उनकी देखभाल कितने समय तक की जाती है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किनको दी जाती है। क्योंकि यहां आंकड़े दिखाते भर के लिए पौधे लगाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 200 पेड़ लगाने वाले को वृक्ष मित्र बनाया जाएगा। 2 हजार वृक्ष मित्र बनाए जाएंगे जिन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य बहुत महान है हमें अपने पर्यावरण को बचाना है उसे सुरक्षित करना है। इसलिए जितने उत्साह और जितनी तत्परता से हम पौधे लगा रहे हैं उन पौधों को जीवित रखने के लिए, उन पौधों को जीवित रखकर उन्हें बड़ा करने के लिए उससे भी अधिक उत्साह, तत्परता और परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि हम सब बड़ी जिम्मेदारी से इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के हरियालो राजस्थान को संकल्पना को साकार करने की यात्रा के सहभागी बनेंगे।

–**रचना सिद्धा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी**

योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे : राज्यपाल बागड़े

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बालोतरा पहुंचे, कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली

बालोतरा, (निर्सं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौरे पर बालोतरा पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने पर पुलिस दल ने मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके पश्चात राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए वंचितों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार इस प्रकार हो कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचे और वास्तविक जरूरतमंद वरग संशक्त हो सके।

राज्यपाल ने योजनाओं के समयबद्ध और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। इस दौरान राज्यपाल ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आवास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ



बालोतरा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

प्राथमिकता से देने को कहा। बैठक के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, कुसुम योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, राजीविका, डेयरी विकास एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता

को एक साथ विकसित किया जाए। उन्होंने जिले के स्कूलों में खेल मैदानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और छात्रावासों में न्यायामशाला एवं खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्यपाल बागड़े ने ‘मिशन हरियालो राजस्थान’ की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहा जाए, बल्कि उनकी सुरक्षा और सार-संभाल भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कम जल आवश्यकता वाले पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने को कहा ताकि पर्यावरणीय संतुलन के साथ जल संरक्षण भी संभव हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की समीक्षा करते हुए जल संचयन एवं भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में स्थानीय समाधान अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में वर्षा जल का संचयन उसी गांव में हो और वह व्यर्थ बहकर न जाए, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक ग्रामीण घर में शुद्ध पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। यह केंद्र सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है और इसकी शत-प्रतिशत सफलता जरूरी है।

उन्होंने कहा कि राजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत महिला समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाई जाए और प्रत्येक महिला को

उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाए। राज्यपाल बागड़े ने कृषि विभाग को मुदा परीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिकतम किसानों को जोड़ने, वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने, फार्म पॉन्ड निर्माण, फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण बढ़ाने और उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हेतु तकनीकी मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीस अपशिष्ट निस्तारण को भी समीक्षा करते हुए उन्होंने जैविक खाद निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा इसे किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे स्वच्छता के साथ कृषि को भी लाभ हो। राज्यपाल बागड़े ने अंत में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी योग्य नागरिक को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाएं केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर नजर आएँ।

बैठक के दौरान जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक रमेश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. गुप्ता, सीसी, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, पंचपरदा विधायक डॉ. अरुण चौधरी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मेघ
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। पारिवारिक व्यक्तित्गत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में परेशानी हो सकती है। व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवर्जनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण-प्रभाव बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ
व्यवस्था संबंधित चिन्ता दूर रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

कर्क
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्यों योजनानुसार बनने लगेंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हूए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

मीन
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।